

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239197
SG-DL-E-29092022-239197

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 270
No. 435]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ASVINA 6, 1944	[N. C. T. D. No. 270

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

फा.सं. 39(7)/यूडी/डीयूएसआईबी/2011/1802-1822.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, मलिन बस्ती(सुधार व सफाई) अधिनियम 1956(1956 का 96) की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गोपाल कृष्ण, डी.जे.एस. को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन हेतु, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। वह दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में इस पद में बने रहने तक कार्य करते रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कल्याण सहाय मीणा, आई.ए.एस, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th September, 2022

F. No. 39(7)/UD/DUSIB/2011/1802-1822.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 2 of the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956), the Lieutenant Governor of National Capital territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Gopal Krishan, DJS, as Competent Authority to exercise the powers and discharge the functions under the provisions of the said Act, until the day he is entrusted at this post in the Delhi Urban Shelter Improvement Board.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
Of the National Capital Territory of Delhi,

KALYAN SAHAY MEENA, IAS, Special Secy.